न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

जो कोई हो।

रसद प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।

निर्णय

दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2020 को उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा से दूरभाष पर प्राप्त सूचना पर ग्राम झाडोली स्थित भारत पेट्रोलियम की दीवार के पास झाडियों में पाए गए सात गेहूं के कट्टे लावारिस हालत में पाए गए, जिस पर एफ.सी.आई. की मोहर लगी हुई थी और लाल धागे से सिलाई की हुई थी। यह है कि आस–पास मौके पर पूछताछ करने पर किस वाहन द्वारा एवं किस व्यक्ति द्वारा उक्त कट्टों को वहां डाला था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पेट्रोल पम्प के कैशियर श्री महावीरसिंह द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज दिखाकर ड्राईवर श्री दलपत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी ग्राम आमलिया तहसील बाली जिला पाली ट्रक नम्बर आरजे 24 जीए 3758 से गेहूं के सात कट्टों को निकाला गया एवं तीन लोगों की मदद से पास की झाडियों में डालना बताया, परन्तु मौका फर्द पर श्री महावीरसिंह द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। उक्त पेट्रोल पम्प पर कार्यरत मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उन्होंने मौके पर ड्राईवर सहित तीन लोगों को घूमते हुए देखा, परन्तु इस घटना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होना बताया। इस प्रकार मौके पर मिले कट्टों में राशन का गेहूं होने एवं उक्त गेहूं का मालिक ज्ञात नहीं होने से संदिग्ध पाए जाने से सात कट्टों की तलपट्टी तैयार की गई, जिसके अनुसार इन सात कट्टो का वारदान सहित वजन 351.860 किलोग्राम था एवं कुल नेट गेहूं का वजन 347.660 किलोग्राम है। अतः मौके पर संदिग्ध पाए जाने से जब्त सरकार किया गया। अतः कब्जे सरकार लिए गए उक्त 350 किलोग्राम गेहूं मय वारदान को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–प[illegible] इश्तहार क्रमांक कोर्ट/2021/10–16 दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया। जिसे पुलिस अधीक्षक सिरोही, जिला रसद अधिकारी सिरोही, उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, [illegible] पिण्डवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा पिण्डवाडा, थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सिरोही एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही एवं वह स्थान जहां पर उक्त गेहूं के कट्टे पाए गए उस स्थान पर तामिली कराई जाकर चस्पा किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि गांव झाडौली स्थित पेट्रोलियम की दीवार पास झाडियों में पाए गए 07 गेहूं के कट्टों के संबंध मे जारी इश्तिहार की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः यह माल राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त सरकार किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण एवं किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किए जाने से एवं छः माह की अवधि समाप्त होने से उक्त 07 गेहूं के कट्टों पर क्लेम पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दिनांक 19.04.2020 को उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा से दूरभाष पर प्राप्त सूचना की पालना में पहुंचने पर ग्राम झाडोली स्थित भारत पेट्रोलियम की दीवार के पास झाडियों में पाए गए सात गेहूं के कट्टे लावारिस हालत में पाए गए, जिस पर एफ.सी.आई. की मोहर लगी हुई थी और लाल धागे से सिलाई की हुई थी। यह है कि आस–पास मौके पर पूछताछ करने पर किस वाहन द्वारा एवं किस व्यक्ति द्वारा उक्त कट्टों को वहां पर डाला गया था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई एवं पेट्रोल पम्प के कैशियर श्री महावीरसिंह द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज दिखाकर ड्राईवर श्री दलपत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी ग्राम आमलिया तहसील बाली जिला पाली ट्रक नम्बर आरजे 24 जीए 3758 से गेहूं के सात कट्टों को निकाला गया एवं तीन लोगों की मदद से पास की झाडियों में डालना बताया, परन्तु मौका फर्द पर श्री महावीरसिंह द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। यह है कि उक्त पेट्रोल पम्प पर कार्यरत मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उन्होंने मौके पर ड्राईवर सहित तीन लोगों को घूमते हुए देखा, परन्तु इस घटना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होना बताया। इस प्रकार मौके पर मिले कट्टों में राशन का गेहूं होने एवं उक्त गेहूं का मालिक ज्ञात नहीं होने से संदिग्ध पाए जाने से सात कट्टों की तलपट्टी तैयार की गई, जिसके अनुसार इन सात कट्टो का बारदान सहित वजन 351.860 किलोग्राम था एवं कुल नेट गेहूं का वजन 347.660 किलोग्राम है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में पुलिस थाना पिण्डवाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई एवं पुलिस थाना पिण्डवाडा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अन्तिम प्रपत्र/रिपोर्ट (एफ.आर.) लगा दी गई, जिसमें अप्रार्थी अज्ञात होना बताया है। अतः छः माह की समयावधि में कोई क्लेमेन्ट हाजिर नहीं होने से एवं क्लेम प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त 07 गेहूं के कट्टो को मालिक विहिन सम्पत्ति (Ownerless Property) घोषित करते हुए जब्त सरकार करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए सात गेहूं के कट्टे कुल वजन 351.860 किलोग्राम बारदान सहित का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner